भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	**स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें**		जी हॉ। दिनांक 24.12.2020
2	**क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।**		सहमत है।
3	**प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।**		सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड Bl0ck-B Expansion Opencast माइनिंग परियोजना हेतु प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर–276, 281 रकबा 278.440 हे0, कक्ष क्रमांक पी– 277, 278, 279 रकबा 344.343 हे0 कुल रकबा 622.783 हे0 है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कार्य आयोजना के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर उक्त कोयला उत्खनन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है:– वनमण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:– (अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्याधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे। (ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति हेतु अनुशंसित है।

तिथि : 25.01.2021
स्थान: रीवा

25.1.2021
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.

Recommendation of CCF

1. वन मण्डल सिंगरौली के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि रकवा 622.8783 हे0 में से रकवा 278.44 हे0 कक्ष क्रमांक आर.एफ. 276 एवं 281 आरक्षित वन भूमि है तथा रकवा 344.343 हे0 कक्ष क्रमांक पी.एफ. 277, 278 एवं 279 संरक्षित वन भूमि है।

2. वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 622.873 हे0 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ब्लाक–बी क्षेत्र में ओपनकास्ट माइनिंग हेतु उपयोग पर दिये जाने का प्रस्ताव है।

3. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्रं0 आर.एफ. 276, 281, पी.एफ. 277, 278 एवं 279 इस वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।

4. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः–

(अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

(ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।

5. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर उक्त कोयला उत्खनन हेतु स्वीकृति दिया जाना अनुशंसित है।

25.1.2017

Cheif Conservator of Forest
Rewa Circle Rewa(M.P.)

Chief Conservator of Forests
Circle, Rewa (M.P.)